01/9/25

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में वादी की तरफ से वा. पत्र अधि. श्री लक्ष्मण गिरी द्वारा पेश किया गया। साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत [illegible] पेश किया गया। [illegible] वादिया उप.। प्रकरण में वादिया तरफ से अधि. वकील द्वारा वाद वर्णित भूमि का समझौता होने का कथन करते हुए इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहकर पुनः वाद पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। वादिया की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः वादिया द्वारा इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः वादिया के पुनः वाद पेश करने

ह. सरस्वती बाई

पहचान

(अधि.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर

जिला–उदयपुर (राज0)

दिनांक	कार्यवाही विवरण
	के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वादीया का वाद उक्त स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:38 IST
Reason: SelfAttested